न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(डॉ.सौम्या झा,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 19/2015
प्रविष्टि दिनांक 12.01.2015

1–रतनलाल कुमावत पुत्र प्रभूलाल जाति कुमावत निवासी सीन्दरा तहसील निवाई जिला टोंक राज0
2–श्रीमति बंसती देवी पत्नि श्री प्रभूलाल जाति कुमावत निवासी सीन्दरा तहसील निवाई जिला टोंक राज0
3–हजारीलाल पुत्र बालूराम जाति कुमावत निवासी सीन्दरा तहसील निवाई जिला टोंक राज0

–अपीलान्ट्स

बनाम

1–तहसीलदार निवाई जिला टोंक राज0
2–सार्वजनिक निर्माण विभाग उपखण्ड निवाई जरिये सहायक अभियन्ता

–रेस्पोडेण्ट्स

अपील विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 903 दिनांक 20.02.2013 वाके ग्राम सीन्दरा तहसीलदार निवाई

उपस्थिति –(1) श्री योगेश व्यास, अभिभाषक अपीलान्ट्स
(2) श्री मजहर आलम, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट संख्या 1

निर्णय **दिनांक 04.03.2025**

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि तहसीलदार निवाई द्वारा दिनांक 20.02.2013 को नामान्तकरण संख्या 903 दिनांक 20.02.2013 वाके ग्राम सीन्दरा को अपने आदेश कमांक 5828 दिनांक 13.09.2012 की पालना मे खसरा नम्बर 27 रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा मे से 5 बीघा 9 बिस्वा भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग उपखण्ड निवाई के नाम स्वीकार किया गया है। अपीलान्ट ने तहसीलदार निवाई के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट्स जरिए नोटिस की गई। विवादित नामान्तरकरण की मूल प्रति मंगवाई गई। प्रकरण में अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलांट्स के अभिभाषक ने अपनी बहस मे अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट्स की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात भूमि खसरा नम्बर 27 रकबा 7 बीघा 09 बिस्वा में से 5 बीघा 9 बिस्वा,भूमि खसरा नम्बर 113 में से 8 बिस्वा व खसरा नम्बर 114 में से 3 बिस्वा वाके ग्राम सीन्दरा मे रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा रेस्पोडेण्ट संख्या 2 के नाम जरिये नामान्तरकरण संख्या 903 दिनांक 20.2.2013 के द्वारा

जिला कलेक्टर
टोंक

दर्ज की गई।तहसीलदार द्वारा उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट्स को सुनवाई, साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नही दिया है और एक तरफा में उक्त अपीलाधीन आदेश पारित कर नामान्तरकरण के जरिये अपीलान्ट्स की खातेदारी की भूमि को रेस्पोडेण्ट संख्या 2 के नाम अंकित कर दिया।अपीलान्ट्स की भूमि खसरा नम्बर 27 रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा के पास ही कदीमी कच्चा रास्ता सीन्दरा से झिलाय जाने वाला है। इस रास्ते के दोनों ओर कृषि आराजीयात है तथा रास्ते के पूर्वी ओर अपीलान्ट्स का खेत है,यह रास्ता मोके पर आज भी कच्चा है और अपीलान्ट्स के खेत से पहले व बाद में अन्य लोगों की भूमिया स्थित है,अपीलान्ट्स की उक्त आराजी के आस पास कृषि भूमियां है,इसके बावजूद भी तहसीलदार द्वारा दुर्भावना पूर्वक उक्त आराजी में से 5 बीघा 9 बिस्वा रकबे को बिना किसी आधार के रेस्पोडेण्ट संख्या–2 के नाम अंकित किया है।तहसीलदार निवाई को अपीलान्ट्स की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात को इस प्रकार रेस्पोडेण्ट संख्या–2 के नाम अंकित करने का कानूनन कोई अधिकार नहीं हैं। अपीलान्ट्स की भूमि को न तो राज्य सरकार द्वारा अवाप्त की गई और ना ही उक्त भूमि के सम्बन्ध में कोई अवाप्ति की कार्यवाही की गई। सार्वजनिक रूप से कोई सूचना भी प्रकाशित नही की गई है। बिना किसी आधार के अपीलान्ट्स की खातेदारी की आराजीयात को रेस्पोडेण्ट संख्या 2 के नाम अंकित कर दिया गया है।उक्त आराजीयात का नामान्तकरण तस्दीक करने से पूर्व तहसीलदार निवाई द्वारा मौका का निरीक्षण नही किया गया है।अपीलांट्स को उक्त भूमि का मुआवजा भी नही मिला है।भूमि मौके पर अनवरत काश्त होती आ रही है।अपीलान्ट्स को उक्त एक तरफा नामान्तरकरण आदेश की पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी। सर्वप्रथम जानकारी पटवारी हल्का से अपने खाते का राजस्व रिकार्ड देखने पर दिनाक 10.12.2014 को उक्त भूमि को रेस्पोडेण्ट संख्या–2 के नाम अंकित करने की जानकारी हुई,जिस पर उक्त नामान्तरकरण की नकल लेने हेतु आवेदन दिनाक 10.12.2014 को पेश किया। जिसकी नकल दिनाक 19.12.2014 को सांयकाल को प्राप्त हुई दिनाक 20,21 दिसम्बर 2014 का राजकीय अवकाश होने से आज यह अपील अपील बिना किसी विलम्ब के पेश की जा रही है। फिर भी यदि कोई देरी मानी जाये तो उसे कन्डोन करने के लिए अलग से धारा 5 लि.एक्ट का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया जा रहा है। अतः नामान्तकरण संख्या 903 दिनांक 20.02.2014 वाके ग्राम सीन्दरा को आराजी खसरा नम्बर 27, 113,114 की हद तक निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

राजकीय अभिभाषक ने जवाबी बहस में निवेदन किया कि तहसीलदार निवाई द्वारा दिनांक 20.02.2013 को नामान्तकरण संख्या 903 दिनांक 20.02.2013 वाके ग्राम सीन्दरा को अपने आदेश कमांक 5828 दिनांक 13.09.2012 की पालना मे खसरा नम्बर 27 रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा मे से 5 बीघा 9 बिस्वा भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग उपखण्ड निवाई के नाम स्वीकार किया गया है। तहसीलदार निवाई ने अवाप्त की गई भूमि का ही नामान्तकरण तस्दीक किया है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारीज किया जाना न्यायोचित है।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एंव पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया तहसीलदार निवाई द्वारा दिनांक 20.02.2013 को नामान्तकरण संख्या 903

जिला कलेक्टर

दिनांक 20.02.2013 वाके ग्राम सीन्दरा को अपने आदेश कमांक 5828 दिनांक 13.09.2012 की पालना मे खसरा नम्बर 27 रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा मे से 5 बीघा 9 बिस्वा भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग उपखण्ड निवाई के नाम स्वीकार किया गया है।

अभिभाषक अपीलांट्स का कथन है कि अपीलान्ट्स की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात भूमि खसरा नम्बर 27 रकबा 7 बीधा 09 बिस्वा में से 5 बीघा 9 बिस्वा,भूमि खसरा नम्बर 113 में से 8 बिस्वा व खसरा नम्बर 114 में से 3 बिस्वा वाके ग्राम सीन्दरा मे रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा रेस्पोडेण्ट संख्या 2 के नाम जरिये नामान्तरकरण संख्या 903 दिनांक 20.2.2013 के द्वारा दर्ज की गई। अपीलान्ट्स की भूमि को न तो राज्य सरकार द्वारा अवाप्त की गई और ना ही उक्त भूमि के सम्बन्ध में कोई अवाप्ति की कार्यवाही की गई। सार्वजनिक रूप से कोई सूचना भी प्रकाशित नही की गई है।अपीलांट्स को उक्त भूमि का मुआवजा भी नही मिला है। भूमि मौके पर अनवरत काश्त होती आ रही है। तहसीलदार निवाई से पत्र कमांक 1029 दिनांक 24.07.2024 व 1647 दिनांक 06.11.2024 से खसरा नम्बर 27 रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा मे से 5 बीघा 9 बिस्वा भूमि वाके ग्राम सीन्दरा को रोड सार्वजनिक निर्माण विभाग उपखण्ड निवाई के नाम अवाप्त की गई भूमि का आदेश (अवार्ड) चाहे जाने पर उनके द्वारा उक्त आदेश (अवार्ड) की प्रति प्रेषित ना कर केवल राजस्व रिकार्ड प्रेषित किया है। उपरोक्त विवेचन से तहसीलदार निवाई द्वारा पारित आदेश को निरस्त कर प्रकरण रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 903 दिनांक 20.02.2013 वाके ग्राम सीन्दरा तहसील निवाई को अपीलांट्स की हद तक (खसरा नम्बर 27,113 व 114 वाके ग्राम सीन्दरा तहसील निवाई) निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार निवाई को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता है कि पक्षकारों की विधिवत सुनवाई कर,दस्तावेजात/अवार्ड आदेश तथा मौके की जांच कर पुनः नियमानुसार निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 04.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.सौम्या झा)
जिला कलेक्टर
टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक